



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939

No. 284]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 353(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 53 की उप-धारा (3) और धारा 57 के साथ पठित, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (iii) और धारा 100 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और

- (i) दिल्ली मेट्रो रेल (दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु और घायल होने के मामले में दावा आयुक्तों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और क्षतिपूर्ति की राशि) नियम, 2007
 - (ii) बंगलौर मेट्रो रेल (दावों हेतु प्रक्रिया) नियम, 2001 और
 - (iii) चेन्नई मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2014 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है;
 - (ख) "दावा आयुक्त" से अधिनियम की धारा 48 के अधीन नियुक्त दावा आयुक्त अभिप्रेत है;
 - (ग) "आवेदक" से अधिनियम की धारा 58 के अधीन दावा आयुक्त को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (घ) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;
- (ङ) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (i) में उसका है ;
- (च) "विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधि की दृष्टि में मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है ;
- (छ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ज) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, पर परिभाषित नहीं है, लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो क्रमशः उस अधिनियम में है।

3. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया - (1) मेट्रो रेल के कामकाज के दौरान घटित ऐसी दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के संदाय के लिए, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा किसी संपत्ति को कोई नुकसान अंतर्वलित है, दावा आयुक्त को आवेदन, या तो आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम अनुसूची में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा ;

परंतु दावा आयुक्त को कोई आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक आवेदन अच्छी गुणवत्ता वाले कागज के एक ओर दोहरे अंतराल में स्पष्ट रूप से टंकित होगा ।

4. आवेदन की संवीक्षा - (1) दावा आयुक्त प्रत्येक आवेदन पर ऐसी तारीख का पृष्ठांकन करेगा, जिसको नियम 3 के अधीन यह प्रस्तुत या प्राप्त किया जाता है और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) संवीक्षा करने पर यदि आवेदन उचित पाया जाता है तो उसे रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और क्रम संख्यांक दिया जाएगा ।

(3) संवीक्षा करने पर यदि आवेदन में कोई दोष पाया जाता है और अवलोकित दोष औपचारिक प्रकृति का है तो दावा आयुक्त, आवेदक को, अपनी उपस्थिति में उसका सुधार करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और यदि दोष औपचारिक प्रकृति का नहीं है तो दावा आयुक्त को दोष का सुधार करने के लिए ऐसा समय अनुज्ञात कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) यदि आवेदक उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर दोष सुधारने में असफल रहता है तो दावा आयुक्त, आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और तदनुसार आवेदक को अधिसूचित कर सकेगा ।

(5) व्यथित व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर की जा सकेगी और दावा आयुक्त द्वारा ऐसी अपील पर विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा ।

5. मेट्रो रेल प्रशासन को सूचना - (1) दावा आयुक्त, मेट्रो रेल प्रशासन का सूचना, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली सुनवाई की तारीख को आवेदन के विरुद्ध कारण बताने के लिए जारी करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना के साथ आवेदन की एक प्रति संलग्न की जाएगी ।

(3) यदि मेट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को हाजिर नहीं होता है या हाजिर होता है और दावे को मंजूर कर लेता है तो दावा आयुक्त तुरंत आवेदन का निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(4) यदि मेट्रो रेल प्रशासन दावे का विरोध करता है तो वह सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व ऐसे दस्तावेज की प्रति के साथ, जिसका उसने अवलम्ब लिया है, उत्तर फाइल कर सकता है और ऐसा उत्तर तथा दस्तावेज की प्रतियां अभिलेख के भाग के रूप में होंगी।

6. शपथपत्र का फाइल किया जाना - (1) दावा आयुक्त आवेदक और मेट्रो रेल प्रशासन को अपने दावे के, यदि कोई हो, समर्थन में शपथपत्र द्वारा साक्ष्य देने का निदेश दे सकेगा।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां दावा आयुक्त मामले के उचित विनिश्चय के लिए यह आवश्यक समझता है, वहां वह किसी अभिसाक्षी की प्रति-परीक्षा का आदेश दे सकेगा।

7. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाइल किया जाना - (1) मेट्रो रेल प्रशासन आवेदन की सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व आवेदन और दस्तावेजों की प्रतियों का उत्तर फाइल कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन फाइल किए गए उत्तर में मेट्रो रेल प्रशासन आवेदन में कथित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार, इंकार या स्पष्ट करेगा और अपने उत्तर में ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का कथन करेगा जो आवश्यक हों।

8. आवेदन का संक्षिप्त निपटारा - दावा आयुक्त, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसकी यह राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो आवेदन को संक्षेप में खारिज कर सकेगा।

9. आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई और निपटारा - (1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य ऐसी तारीख को, जिसके लिए ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक हाजिर होता है और मेट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता है तो दावा आयुक्त अपने विवेकाधिकार से सुनवाई को स्थगित कर सकेगा या आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई विनिश्चय कर सकेगा।

(2) जहां मेट्रो रेल प्रशासन के विरुद्ध किसी आवेदन की सुनवाई एक पक्षीय की जा रही है वहां मेट्रो रेल प्रशासन दावा आयुक्त को उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि आवेदक दावा आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी या उसके प्रतिनिधि को किसी पर्याप्त कारण से हाजिर होने से निवारित किया गया था तो दावा आयुक्त ऐसे निबंधनों के आधार पर जो वह ठीक समझे एक पक्षीय सुनवाई को अपास्त करने का आदेश पारित कर सकेगा और आवेदन पर कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा।

10. व्यक्तिक्रम में आवेदन का निपटारा - (1) आवेदन पर सुनवाई के लिए विनिश्चित तारीख को या किसी अन्य तारीख को, जिसके ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, मेट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि हाजिर होता है और आवेदक हाजिर नहीं होता है, वहां दावा आयुक्त अपने विवेकाधिकार से सुनवाई स्थगित कर सकेगा या आवेदन की व्यक्तिक्रम में सुनवाई कर सकेगा और निपटारा कर सकेगा।

(2) जहां आवेदन के विरुद्ध व्यक्तिक्रम में किसी आवेदन की सुनवाई की जाती है और उसका निपटारा किया जाता है वहां आवेदक उसे अपास्त करने के लिए कोई आदेश करने हेतु दावा आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और यदि आवेदक दावा आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी या उसे पर्याप्त कारणों से हाजिर होने से रोका गया था तो दावा आयुक्त ऐसे निबंधनों के आधार पर जो वह ठीक समझे व्यक्तिक्रम में खारिजी को अपास्त करने का आदेश कर सकेगा और आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

11. साक्षियों को समन करना और साक्ष्य अभिलिखित करने की पद्धति - (1) यदि कार्यवाहियों की किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को समन करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो दावा आयुक्त, ऐसे साक्षियों को हाजिर होने के लिए समन जारी करेगा जब तक कि वह यह नहीं समझता है कि उनकी हाजिरी मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक नहीं है।

(2) साक्षी की परीक्षा प्रारंभ होने पर दावा आयुक्त, प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा:

परन्तु यदि दावा आयुक्त ऐसा ज्ञापन नहीं करता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करेगा और लिखित में ऐसा ज्ञापन करवाएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा।

12. दावा आयुक्त का विनिश्चय – दावा आयुक्त दस्तावेजों, शपथपत्रों और अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, के परिशीलन के आधार पर यथासंभव शीघ्रता के साथ और ऐसी मौखिक दलीलों को, जो दी जाएं, सुनने के पश्चात् प्रत्येक आवेदन का विनिश्चय करेगा।

13. आदेश का पारित और हस्ताक्षरित किया जाना – (1) दावा आयुक्त, आवेदक और मैट्रो रेल प्रशासन को सुनने के पश्चात् या तो तुरंत या उसके पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) दावा आयुक्त का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(3) दावा आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश का निष्पादन सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में किया जाएगा और जहां तक हो सके सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे सिविल न्यायालय की डिक्री की बाबत लागू होते हैं।

14. विनिश्चय का पुनर्विलोकन – (1) दावा आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अभिलेख को देखने से प्रकट होने वाली किसी त्रुटि या गलती के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से दावा आयुक्त को किसी ऐसे अंतिम आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है।

(2) जहां दावा आयुक्त को यह प्रतीत होता है, पुनर्विलोकन का कोई पर्याप्त आधार नहीं है वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(3) जहां दावा आयुक्त, का पुनर्विलोकन के आवेदन में किए गए आधारों का समाधान हो जाता है और उसे न्याय के हित में समझता है तो वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को मंजूर करेगा:

परन्तु पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन, मैट्रो रेल प्रशासन को पूर्व सूचना दिए बिना या उसे हाजिर होने के लिए और उस आदेश के समर्थन में, जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया है, सुनवाई के लिए समर्थ बनाए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा।

15. दावा आयुक्त द्वारा आदेश या निदेश – इन नियमों की किसी बात को, ऐसे आदेश पारित करने या ऐसे निदेश देने की, जो दावा आयुक्त के आदेशों को प्रभावी करने के लिए या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो, उसकी शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझा जाएगा।

16. विशेषज्ञों का संगम – (1) दावा आयुक्त, प्रतिकर के किसी दावे का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक ऐसे विशेषज्ञों को, जो जांच से सुसंगत किसी विषय की कोई जानकारी रखते हैं, सहबद्ध कर सकेगा।

(2) दावा आयुक्त, उपनियम (1) के अधीन जांच से सहबद्ध व्यक्तियों को ऐसी फीस या भत्तों के संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और उसका संदाय मैट्रो रेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

17. प्रतिकर की रकम – (1) मृत्यु या क्षतियों की बाबत संदेय प्रतिकर की रकम दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(2) किसी ऐसी क्षति के लिए संदेय प्रतिकर की रकम, जो दूसरी अनुसूची के भाग 2 या भाग 3 में विनिर्दिष्ट नहीं है किंतु जो दावा आयुक्त की राय में ऐसी है जो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने की उसकी संपूर्ण क्षमता से वंचित करती है, चार लाख रुपये होगी।

(3) किसी ऐसी क्षति की बाबत संदेय प्रतिकर की रकम (दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट या उपनियम (2) निर्दिष्ट किसी ऐसी क्षति से भिन्न) जिसका परिणाम पीड़ा और वेदना है) ऐसी होगी जो दावा आयुक्त मामले की अन्य परिस्थितियों के अतिरिक्त, चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् युक्तियुक्त अवधारित करे :

परन्तु यदि एक ही दुर्घटना में एक से अधिक क्षति कारित होती है तो ऐसी प्रत्येक क्षति की बाबत प्रतिकर का संदाय किया जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसी सभी क्षतियों की बाबत कुल प्रतिकर अस्सी हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।

(4) जहां किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर संदत्त किया गया है जो उस रकम से कम है जिसका प्रतिकर के रूप में संदाय तब किया जाएगा जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या तत्पश्चात् व्यक्ति की क्षति के कारण मृत्यु हो जाती है, वहां मृत्यु के लिए संदेय रकम या पहले संदत्त की गई रकम के बीच के अंतर के बराबर और प्रति कर संदत्त किया जाएगा।

(5) किसी यात्री द्वारा उसके व्यक्तिगत सामान के रूप में वहन किए जाने वाले माल की हानि, विनाश या क्षय के लिए प्रतिकर का संदाय उस सीमा तक किया जाएगा जो दावा आयुक्त मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए युक्तियुक्त अवधारित करे।

18. प्रतिकर की सीमा - नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी उस नियम के अधीन संदेय कुल प्रतिकर किसी भी दशा में किसी एक व्यक्ति की बाबत पांच लाख रूपये से अधिक नहीं होगा।

पहली अनुसूची

प्ररूप

(नियम 3 देखिए)

यात्रियों की मृत्यु या क्षति अथवा उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत सामान के रूप में वहन किए जा रहे माल के विनाश या नुकसान की बाबत प्रतिकर के दावे के लिए मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (200 का 60) की धारा 58 के अधीन आवेदन।

भाग 1

मामले की तारीख :

मामले का समय :

भाग 2

क्रम संख्या	संलग्न किए गए दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

दावा आयुक्त कार्यालय के उपयोग के लिए

आवेदक के हस्ताक्षर

फाइल करने की तारीख

या

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

भाग - III

दावा आयुक्त के कार्यालय में

.....आवेदक

और

मेट्रो रेल प्रशासन के मध्य

1. आवेदक की विशिष्टियां :

नाम और पता

2. दावे का मूल्य

3. (i) मामले के तथ्य :

(यहां कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त कथन करें, प्रत्येक पैरा में यथा संभव पृथक मुद्दे, तथ्य और अन्य बांटे अंतर्विष्ट की जाएं।)

(ii) (क) मांगी गई राहत की प्रकृति

(ख) राहत का आधार

4. (i) विषय जो पहले किसी अन्य न्यायालय में फाइल न किए गए हों या लंबित न हों (बताएं कि क्या आवेदक ने उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत वर्तमान आवेदन किया गया है पूर्व में कोई दावा, रिट याचिका या वाद फाइल किया है)

(ii) यदि आवेदकों ने पूर्व में कोई, आवेदन, बाद रिट याचिका फाइल की है तो उपदर्शित करें कि वह किस प्रक्रम पर लंबित है और यदि विनिश्चय किया जा चुका है तो आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

5. संलग्नकों की सूची

1

2

3

4

5

सत्यापन

मैं, (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी

आय.....

निवासी.....यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि पैरासे पैरातक में दी गई अंतर्वस्तुओं पर मेरे सर्वोत्तम ज्ञान या मुझे दी गई विधिक सलाह के आधार पर सही होने का विश्वास किया जाता है और मैंने किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता

तारीख :

स्थान :

दूसरी अनुसूची
(नियम 17 देखिए)
मृत्यु और क्षतियों के लिए संदेय प्रतिकर

भाग I

क्रम संख्या	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रूपये)
(1)	(2)	(3)
मृत्यु के लिए		5,00,000

भाग II

(1)	(2)	(3)
1.	दोनों हाथों की हानि अथवा उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन के लिए	4,00,000
2.	एक हाथ और एक पाद की हानि के लिए	4,00,000
3.	टांग या उरू से दोहरा विच्छेदन या एक और टांग या उरू से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि के लिए	4,00,000
4.	दृक शक्ति की इस विस्तार तक की हानि के लिए कि दावेदान ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक शक्ति आवश्यक है	4,00,000
5.	चेहरे की बहुत गंभीर विदूषता के लिए	4,00,000
6.	पूर्ण बधिरता के लिए	4,00,000

भाग III

(1)	(2)	(3)
1.	स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए	3,60,000
2.	स्कंध से नीचे से विच्छेदन के लिए जब के स्थूणक अंसूकट के सिरे 8 इंच से कम	3,20,000
3.	अंसूकट सिरे से आठ इंच से कूर्पर के सिरे के नीचे से साढ़े चार इंच से कम तक के से विच्छेदन के लिए	2,80,000
4.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे की और चारों अंगुलियों की हानि या खुर पर के सिरे से साढ़े चार इंच से नीचे तक के से विच्छेदन के लिए	2,40,000
5.	अंगूठे की हानि के लिए	1,20,000
6.	अंगूठे की और उसकी करभ-अस्थि की हानि के लिए	1,60,000
7.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए	2,00,000
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000
9.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
10.	अंगूठे की अंतिम अंगुलि-अस्थि की हानि के लिए	80,000
11.	दोनों पादों के विच्छेदन के लिए जिसके परिणामस्वरूप अंतांग मात्र रह जाए	3,60,000

12.	प्रपदांगुलि - अस्थि संधि के निकट से दोनों पादों के विच्छेदन के लिए	3,20,000
13.	प्रपदांगुलि - अस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,000
14.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000
15.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
16.	नितंब पर विच्छेदन के लिए	3,60,000
17.	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि बृहत उरू-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा न हो	3,20,000
18.	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि बृहत उरू-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा हो किंतु मध्योरू से आगे न हो	2,80,000
19.	मध्योरू के नीचे से घुटने के साढ़े तीन इंच तक नीचे के विच्छेदन के लिए	2,40,000
20.	घुटने के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूणक 3/12 इंच से अधिक हो किंतु 5 इंच से अधिक न हो	2,00,000
21.	अधरांगघात के साथ मेरूदंड का अस्थिभंग	2,00,000
22.	घुटने के नीचे विच्छेदन जब कि स्थूणक 5 इंच से अधिक हो	1,60,000
23.	एक नेत्र की हानि के लिए जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसमान्य हो	1,60,000
24.	एक पाद के विच्छेदन के लिए जिसके परिणाम स्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	1,20,000
25.	प्रपदांगुलि अस्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिए	1,20,000
26.	अधरांगघात के बिना मेरूदंड का अस्थिभंग	1,20,000
27.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि जब कि नेत्रगोलक में उपद्रव या विद्रुपता; न हो और दूसरा नेत्र प्रसमान्य हो	1,20,000
28.	प्रपदांगुलि अस्थि संधि से एक पाद की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
29.	नितंब के जोड़ का अस्थि भंग	80,000
30.	मुख्य अस्थि - दोनों अंगो की ऊर्वारिथ, अंतर्जाधिका का अस्थि भंग	80,000
31.	मुख्य अस्थि - दोनों अंगो की प्रगण्डिका, रेडियस का अस्थि भंग	60,000
32.	पेल्विस का अस्थिभंग जिसमें जोड़ अंतर्वलित नहीं है	40,000
33.	मुख्य अस्थि - एग अंग की ऊर्वास्थि, अंतर्जाधिका का अस्थि भंग	40,000
34.	मुख्य अस्थि - एक अंग की प्रगण्डिका, रेडियस और अलना का अस्थि भंग	32,000

[फा.सं. के-14011/18/2016-एमआरटीएस-III]

मुकुन्द कुमार सिन्हा, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) और पदेन संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2017

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of section 56 and clause (d) of sub-section (2) of section 100 read with sub-section (3) of section 53 and section 57 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and in supersession of

- (i) The Delhi Metro Rail (Procedure to be followed by Claims Commissioner and Amount of Compensation paid in case of Death and Injuries due to Accidents) Rules, 2007,
- (ii) The Bangalore Metro Rail (Procedure for Claims) Rules, 2001 and
- (iii) The Chennai Metro Rail (Procedure of Claims) Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Metro Railways (Procedure of Claims) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);
- (b) "Claims Commissioner" means the Claims Commissioner appointed under section 48 of the Act;
- (c) "applicant" means a person making an application to the Claims Commissioner under section 58 of the Act;
- (d) "Form" means a form appended to these rules;
- (e) "legal practitioner" shall have the same meaning as assigned to it under clause (i) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (f) "legal representative" means a person who in law represents the estate of the deceased;
- (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (h) "section" means a section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.

3. Procedure for filing applications.- (1) The application for payment of compensation in respect of accidents involving death, or bodily injury to person or damage to any property arising out of the working of the Metro Railway to the Claims Commissioner shall be presented in the Form given in the First Schedule either by the applicant in person or by his duly authorised legal representative:

Provided that an application may also be sent by registered post to the Claims Commissioner.

- (2) The application referred to in sub-rule (1) shall be presented in duplicate.
- (3) Every application shall be typed legibly in double space on one side of paper of good quality.

4. Scrutiny of application.- (1) The Claims Commissioner shall endorse on every application the date on which it is presented or received under rule 3 and sign the endorsement.

- (2) If the application on scrutiny is found to be in order, it shall be registered and given a serial number.
- (3) If the application on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant, to rectify the same in his presence and if the defect is not formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.
- (4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Claims Commissioner may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and notify the applicant accordingly.
- (5) An appeal against the order passed under sub-rule (4) may be preferred by the persons aggrieved within fifteen days from the date of such order and such appeal shall be dealt with and disposed of by the Claims Commissioner.
5. Notice to Metro Railway Administration.—(1) The Claims Commissioner shall issue notice to Metro Railway Administration to show cause against the application on a date of hearing to be specified therein.
- (2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of the application.
- (3) If the representative of Metro Railway Administration does not appear on the date specified in the notice referred to in sub-rule (1) or appears and admits the claim, the Claims Commissioner shall forthwith proceed to dispose of the application.
- (4) If the Metro Railway Administration contests the claim, it may file a reply along with copy of such document on which it relies on or before the date of hearing and such reply and copies of the documents shall form part of the record.
6. Filing of an Affidavit.—(1) The Claims Commissioner may direct the applicant and the Metro Rail Administration to give evidence, if any, by affidavit.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the Claims Commissioner considers it necessary for just decision of the case, he may order cross-examination of any deponent.
7. Filing of reply and other documents by the respondents.—(1) The Metro Railway Administration may file its reply to the application and copies of the documents on or before the date of hearing of the application.
- (2) In reply filed under sub-rule (1), the Metro Railway Administration shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the application and state additional facts necessary in its reply.
8. Summary disposal of application.—The Claims Commissioner may, after considering the application, summarily dismiss the application, if for reasons to be recorded in writing, he is of the opinion that there are no sufficient grounds for proceeding therewith.
9. Ex-parte hearing and disposal of application.—(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the representative of the Metro Railway Administration does not appear, the Claims Commissioner may, in his discretion, adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.
- (2) Where an application has been heard ex-parte against the Metro Railway Administration, the Metro Railway Administration may apply to the Claims Commissioner for an order to set aside the ex parte hearing, and if the Metro Railway Administration satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or that its representative was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the ex-parte hearing upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.
10. Disposal of application in default.—(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the representative of the Metro Railway Administration appears and the applicant does not appear, the Claims Commissioner may, at his discretion, adjourn the hearing or hear and decide the application in default.
- (2) Where an application has been heard and disposed in default against the applicant, the latter may apply to the Claims Commissioner to set aside the order in default and if the applicant satisfies

the Claims Commissioner that the notice was not duly served or he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the order in default, upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.

11. Summoning of witnesses and method of recording evidence.-(1) If an application is presented by any party to the proceedings for summoning of witnesses, the Claims Commissioner shall issue summons for the appearance of such witnesses unless he considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(2) The Claims Commissioner shall make a brief memorandum of substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds and such memorandum shall form part of the record:

Provided that if the Claims Commissioner does not make such memorandum, he shall record the reasons for his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record.

12. Decision of the Claims Commissioner.- The Claims Commissioner shall decide every application as expeditiously as possible on perusal of documents, affidavits and other evidence, if any, and after hearing such oral argument as may be advanced.

13. Order to be passed and signed.-(1) The Claims Commissioner, after hearing the applicant and the Metro Railway Administration, shall pass an order as he thinks fit, either at once or as soon as thereafter as may be practicable.

(2) Every order of the Claims Commissioner shall be in writing and shall be signed by him.

(3) An order made by the Claims Commissioner shall be executed as a decree of civil court and the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, so far as may be, and shall apply as they apply in respect of decree of a civil court.

14. Review of decision.-(1) Any person considering himself aggrieved by any order of the Claims Commissioner, on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, may apply for review of a final order not being an interlocutory order, to the Claims Commissioner.

(2) Where it appears to the Claims Commissioner that there is no sufficient ground for a review, he shall reject the application.

(3) Where the Claims Commissioner is satisfied with the grounds made in the application and considers it in the interest of justice, he shall allow the application for review:

Provided that no such application for review shall be allowed without previous notice to the Metro Railway Administration or to enable it to appear and be heard in support of the order, a review of which is applied for.

15. Orders or directions by the Claims Commissioner.- Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Claims Commissioner to pass such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to his orders or to prevent abuse of the process or to secure the ends of justice.

16. Association of experts.-(1) The Claims Commissioner may, for the purpose of determining any claim for compensation associate one or more experts possessing any knowledge of any matter relevant to the inquiry.

(2) The fees or allowances, if any, to be paid to the persons associated with the inquiry under sub-rule (1), shall be determined by the Claims Commissioner as he considers necessary, and the same shall be paid by the Metro Railway Administration.

17. Amount of compensation.-(1) The amount of compensation payable in respect of death or injuries shall be as specified in the Second Schedule.

(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II or Part III of the Second Schedule but which, in the opinion of the Claims Commissioner, is such as to deprive a person of all his capacity to do any kind of work, shall be four lakh rupees.

(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Second Schedule or referred to in sub-rule (2) resulting in pain and suffering), shall be such as the Claims Commissioner may, after taking into consideration medical evidence, besides other circumstances of the case, determine to be reasonable:

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury:

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed eighty thousand rupees.

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person had died, and the person subsequently dies of the injury, a further compensation equal to difference between the amount payable for death and amount already paid, shall become payable.

(5) The compensation for loss, destruction or deterioration of goods being carried by the passenger as his personal baggage, shall be paid to such an extent as the Claims Commissioner may, after taking into consideration all circumstances of the case, determine to be reasonable.

18. Limit of compensation.- Notwithstanding anything contained in rule 17, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed five lakh rupees in respect of any one person.

The First Schedule

FORM

(See rule 3)

Application under section 58 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) for claims for compensation in respect of death or injury of passengers or destruction or damage to the goods being carried by them as their personal baggage.

PART I

Date of the Case:

Time of the Case:

PART II

Sl. No.	Description of documents attached	Page No.
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the Applicant

For use in Claims Commissioner's Office

Date of filing

Or

Date of Receipt by post

Registration No.

PART III
In the Office of the Claims Commissioner
Between

..... Applicant
and
Metro Railway Administration

1. Particulars of the Applicant:

Name and address

2. Value of claim _____

3. (i) Facts of the case:

(Give here a concise statement of facts in chronological order, each paragraph containing, as nearly as possible, a separate issue, fact or otherwise)

(ii) (a) Nature of relief sought

(b) Ground of relief

4. (i) Matters not previously filed or pending with any other court.

(State whether the applicant had previously filed any claim, writ petition or suit regarding the matter in respect of which the present application has been made.)

(ii) In case the applicants had previously filed any claims, application, writ petition or suit, indicate the stage at which it is pending, and if decided, attach a certified copy of the order

5. List of enclosures.

1.

2.

3.

I,.....(name of the applicant)
S/o,D/o,W/o.....Age.....Resident
of.....do hereby verify that the contents of
paragraphs.....to.....are true to my
personal knowledge, and paragraphs.....to.....are believed to be true to
the best of knowledge, or the legal advice given to me, and that I have not suppressed any material fact.

Signature of the applicant

Full address

Date:.....

Place:.....

The Second Schedule

(see rule 17)

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES

PART I

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For death	5,00,000

PART II

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For loss of both hands or amputation at higher sites	4,00,000
2.	For loss of hand and a foot	4,00,000
3.	For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot	4,00,000
4.	For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential	4,00,000
5.	For every severe facial disfigurement	4,00,000
6.	For absolute deafness	4,00,000

PART III

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For amputation through shoulder joint	3,60,000
2.	For amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion	3,20,000
3.	For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4 ½ " below olecranon	2,80,000
4.	For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand of amputation from 4 ½ " below space tip of olecranon	2,40,000
5.	For loss of thumb	1,20,000
6.	For loss of thumb and its metacarpal bone	1,60,000
7.	For loss of four fingers of one hand	2,00,000
8.	For loss of three finger of one hand	1,20,000
9.	For loss of two fingers of one hand	80,000
10.	For loss of terminal phalanx of thumb	80,000
11.	For amputation of both feet resulting in end-bearing stumps	3,60,000
12.	For amputation of both feet proximal to the metatarsophalangeal joint	3,20,000
13.	For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint	1,60,000
14.	For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint	1,20,000

15.	For loss of toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint	80,000
16.	For amputation at hip	3,60,000
17.	For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from tip of great trochanter but not beyond middle thigh	3,20,000

18.	For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip of great trochanter but not beyond middle thigh	2,80,000
19.	For amputation below middle thigh to 3 ½ below knee	2,40,000
20.	For amputation below knee with stump exceeding 3 ½" but not exceeding 5"	2,00,000
21.	Fracture of spine with paraplegia	2,00,000
22.	For amputation below knee with stump exceeding 5"	1,60,000
23.	From loss of one eye without complications the other being normal.	1,60,000
24.	For amputation of one foot resulting in end-bearing	1,20,000
25.	For amputation through one foot proximal to metatarsophalangeal joint	1,20,000
26.	Fracture of spine without paraplegia	1,20,000
27.	For loss of vision of one eye without complication of disfigurement of eye ball, the other being normal	1,20,000
28.	For loss of all toes of one foot through the metatarsophalangeal joint	80,000
29.	Fracture of hip-joint	80,000
30.	Fracture of Major-Bone-Femur, Tibia of both limbs	80,000
31.	Fracture of Major-Bone-Humerus, Radius of both limbs	60,000
32.	Fracture of Pelvis not involving joint	40,000
33.	Fracture of Major Bone-Femur, Tibia of one limb	40,000
34.	Fracture of Major Bone-Humerus, Radius and Ulna of one limb	32,000

[F. No. K-14011/18/2016-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, Officer on Special Duty (UT) and Ex-officio Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 354(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

- (i) दिल्ली मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार अथवा असमर्थता की अन्वेषण प्रक्रिया) नियम, 2017,
- (ii) बंगलौर मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार अथवा असमर्थता की अन्वेषण प्रक्रिया) नियम, 2011 और
- (iii) चेन्नई मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार अथवा असमर्थता की अन्वेषण प्रक्रिया) नियम, 2014 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार या असमर्थता के लिए अन्वेषण प्रक्रिया) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "न्यायाधीश" से नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु इसमें परिभाषित नहीं हैं और जो इस अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में हैं।

3. परिवादों की अन्वेषण संबंधी समिति (1) केन्द्रीय सरकार, दावा आयुक्त के संबंध में कदाचार या उसके संबंध में पद के कृत्यों का पालन करने में असमर्थता के किन्ही निश्चित आरोपों का अभिकथन करने वाली शिकायत प्राप्त हो जाने पर, ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

(2) यदि, केन्द्रीय सरकार प्रारंभिक संवीक्षा किए जाने पर अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उस समर्थनकारी सामग्री, जो उपलब्ध हो, के साथ शिकायत, को शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति के समक्ष रखेगी, अर्थात् :-

- | | |
|---|-----------|
| i. सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) मंत्रिमंडल सचिवालय | - अध्यक्ष |
| ii. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | - सदस्य |
| iii. सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय | - सदस्य |

(3) समिति अन्वेषण की अपनी ही प्रक्रिया और पद्धति तैयार करेगी जिसमें शिकायतकर्ता के साक्ष्य का अभिलेखन और उस जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित हो सकेगा, जो इन नियमों के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाए।

(4) समिति ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथासंभव शीघ्र केन्द्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।

4. न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना-(1) यदि, केन्द्रीय सरकार, की यह राय है कि दावा आयुक्त के कदाचार या उसकी असमर्थता के किसी लांछन की सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश नामित करने के लिए यह अनुरोध करेगा कि वह एक निर्देश करे।

(2) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा जांच करने के प्रयोजन के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश कहा गया है, द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना दावा आयुक्त को दी जाएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की एक प्रति न्यायाधीश को अग्रेषित करेगा :-

- (क) संबद्ध दावा आयुक्त के विरुद्ध आरोपों की मर्दे तथा लांछन का कथन
- (ख) साक्षियों का कथन, यदि कोई हो; और
- (ग) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज

- (5) न्यायाधीश ऐसे समय या अतिरिक्त समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच को पूरा करेगा।
- (6) संबद्ध दावा आयुक्त को ऐसे समय के भीतर, जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए प्रतिरक्षा के लिखित कथन को प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (7) जहां यह अभिकथन किया जाता है कि दावा आयुक्त किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है और अभिकथन का प्रत्याख्यान किया जाता है तो वहां न्यायाधीश ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, दावा आयुक्त की चिकित्सीय परीक्षा कराने की व्यवस्था कर सकेगा और संबंधित दावा आयुक्त न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर चिकित्सीय परीक्षा के लिए स्वयं पेश होगा।
- (8) चिकित्सा बोर्ड दावा आयुक्त की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा जो आवश्यक समझी जाए और उसमें यह कथन करते हुए न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या असमर्थता इस प्रकार की है जो दावा आयुक्त को पद पर बने रहने के लिए अयोग्य बनाती हैं।
- (9) यदि दावा आयुक्त ऐसी चिकित्सीय परीक्षा, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए, कराने के लिए इंकार करता है, तो बोर्ड, न्यायाधीश को एक रिपोर्ट उसमें ऐसी परीक्षा का कथन करते हुए प्रस्तुत करेगा जिसे कराने से दावा आयुक्त ने इंकार कर दिया है और न्यायाधीश ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर यह उपधारणा कर सकेगा कि दावा आयुक्त ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से ग्रस्त हैं जिसका शिकायत में अभिकथन किया गया है।
- (10) न्यायाधीश, दावा आयुक्त के लिखित कथन और चिकित्सा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उपनियम(4) के खंड (क) से निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकेगा और ऐसे मामलों में, दावा आयुक्त को प्रतिरक्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (11) केन्द्रीय सरकार, दावा आयुक्त के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए इस सरकार के किसी अधिकारी या किसी अधिवक्ता को नियुक्त करेगा।
- (12) जहां केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधीश के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त किया है वहां, दावा आयुक्त को उसके द्वारा चुने गए अधिवक्ता द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।
5. जांच रिपोर्ट : अन्वेषण के समाप्त हो जाने के पश्चात् न्यायाधीश केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें संपूर्ण मामले पर ऐसे संप्रेक्षणों सहित, जो वह ठीक समझें, पृथक रूप से आरोप की हर एक मद पर उसके निष्कर्षों और कारणों का कथन होगा।
6. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों से आबद्धकर न होना : नियम 4 के अधीन जांच करते समय, न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्धकर नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अपनी स्वयं की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी जांच के स्थान और समय भी है, को विनियमित करने की शक्ति होगी।
7. दावा आयुक्त का निलंबन : नियम 4 में किसी बात के होते हुए और उक्त नियम के अनुसार की जा रही किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस दावा आयुक्त को निलंबित कर सकेगी जिसके विरुद्ध शिकायत का अन्वेषण किया जा रहा है या जांच की जा रही है।
8. जीवन निर्वाह भत्ता : निलंबनाधीन दावा आयुक्त को जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के किसी अधिकारी को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

[फा. सं. के-14011/18/2016-एमआरटीएस-III]

मुकुन्द कुमार सिन्हा, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) और पदेन संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2017

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 56 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), and in supersession of

- (i) the Delhi Metro Rail (Procedure for Investigation of Misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2007,
- (ii) the Bangalore Metro Rail (Procedure for investigation of Misbehaviour or Incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2011 and
- (iii) The Chennai Metro Rail (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Metro Railways (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of the Claims Commissioner) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);
 - (b) "section" means a section of the Act;
 - (c) "Judge" means the Judge of the Supreme Court appointed for conducting the inquiry under sub-rule (3) of rule 3.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Committee for investigation of complaints.- (1) The Central Government, on receipt of a complaint alleging any definite charges of misbehavior in respect of or incapacity to perform the functions of the office in respect of the Claims Commissioner, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government, considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material, as may be available, before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint, namely:-

- (i) Secretary (Co-ordination and Public Grievances) Cabinet Secretariat —Chairman.
- (ii) Secretary, Ministry of Urban Development —Member
- (iii) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice —Member

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court of India under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the Central Government as early as possible within a period as may be specified by the Central Government in this behalf.

4. Judge to conduct inquiry.- (1) If the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner, it shall make reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The Central Government shall, by order, appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India (hereinafter referred to as Judge) for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Claims Commissioner.

(4) The Central Government shall forward to the Judge a copy of-

- (a) the articles of charges against the Claims Commissioner concerned and the statement of imputation;
- (b) the statement of witnesses, if any; and
- (c) material documents relevant to the inquiry.
- (5) The Judge shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the Central Government.
- (6) The Claims Commissioner concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.
- (7) Where it is alleged that the Claims Commissioner is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the judge may arrange for the medical examination of the Claims Commissioner by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the Central Government and the Claims Commissioner concerned shall submit himself to such Medical Examination within the time specified in this behalf by the Judge.
- (8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Claims Commissioner as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Claims Commissioner unfit to continue in office.
- (9) If the Claims Commissioner refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Claims Commissioner has refused to undergo and the Judge may on receipt of such report presume that the Claims Commissioner suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.
- (10) The Judge may, after considering the written statement of the Claims Commissioner and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub-rule (4) and in such a case the Claims Commissioner shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.
- (11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or any Advocate to present the case against the Claims Commissioner.
- (12) Where the Central Government has appointed an Advocate to present its case before the Judge, the Claims Commissioner shall also be allowed to present his case by an Advocate chosen by him.
5. Inquiry report.- After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the Central Government stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charge separately with such observations on the whole case as he thinks fit.
6. Provisions of Civil Procedure Code not binding.- The Judge, while conducting an inquiry under rule 4, shall not be bound by the procedure laid down by the Civil Procedure Code, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.
7. Suspension of Claims Commissioner.- Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Government, keeping in view the gravity of charges, may suspend the Claims Commissioner against whom a complaint is under investigation or inquiry.
8. Subsistence allowance.- The payment of subsistence allowance to Claims Commissioner under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay.

[F. No. K-14011/18/2016-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, Officer on Special Duty (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.